प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **18 / 2025** (अपील सूचना का अधिकार)
Kishan Ahir Add: Ahiro ka Mohalla, Hamerpura, Post-Bhopakhera, Udapur
..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर
..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 25/2/25

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 3292397512515661 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 22.12.2024 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को संबंधित सूचना नहीं दिये जाने से क्षुब्ध होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 3257651877 दिनांक 31.01.2025 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर / सू.अ.2005 / प्रथम अपील / 18 / 25 / 135–36 दिनांक 31.01.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर ने जरिये पत्रांकः आरटीटाई / 2025 / 53 दिनांक 20.02.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इस न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन कर वर्ष 2008 मे फसल खराबे की गिरदावरी, मुआवजा के संबंध में दो बिन्दुओं में सूचना चाही गई है। वर्ष 2008 में भीण्डर उपतहसील होने से प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसील कार्यालय भीण्डर में संधारित्र नहीं होकर वर्ष 2008 में तहसील वल्लभनगर होने से चाही गई सूचना तहसील कार्यालय वल्लभनगर से प्राप्त करने हेतु कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 15 दिनांक 15.01.2025 से लोक सूचना अधिकारी तहसील वल्लभनगर को सूचित कर दिया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध तहसील कार्यालय वल्लभनगर से संबंधित होने से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर को जरिये पत्रांक 15 दिनांक 15.01.2025 से अंतरित किया गया एवं उक्त अंतरण के बारे में अपीलार्थी को भी सूचित किया गया। अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकार एवं तहसीलदार भीण्डर के विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जबकि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

के आवेदन को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर के कार्यालय में अंतरित किया जा चुका था।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह वांछित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वल्लभनगर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त करें। साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीण्डर को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अंतरण योग्य प्राप्त आवेदन को निर्धारित अवधि में अंतरित किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

निर्णय आज दिनांक 25/2/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर उदयपुर